राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतर्गत धारा 88,91,92क,188,209

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.2025	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित।	

आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5 व 6) अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1 से 5 के पूर्वज तत्कालीन खातेदार लिक्ष्मणा द्वारा तत्कालीन सक्षम प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 25.08.1982 को उपस्थित होकर कथन किया कि मोती के नाम खसरा नम्बर 597 में कोई जमीन व कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही आज दिनांक तक कोई कब्जा काश्त है। उसी दिन वादी संख्या 6 से 15 व 17 से 20 के पूर्वजों द्वारा भी तत्कालीन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर बयान दिया है कि खसरा नम्बर 597 पर मोतीराम का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही कोई कब्जा काश्त है। उक्त बयानों के आधार पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा नामांतरकरण संख्या 1675 व 1676 पारित किये गये। उक्त नामांतरकरणों के दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि पिछले 50 वर्षों से वादीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा वादीगण द्वारा उक्त वाद कब्जा पाने के अनुतोष के बिना पेश करने पर विधि से वर्जित है। पूर्व में इनके नाम सेटलमेंट की भूल से पड़ गया था, जिसके संबंध में फौतगी म्यूटेशन में सक्षम प्राधिकरण ग्राम पंचायत के सामने बयान देते हुए वादीगण के वालिदेन द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि हमारे नाम भूल से दर्ज हुए है तथा विवादित आराजी में हमारा कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण का उक्त विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही होने के कारण वादीगण द्वारा पूर्व में पारित नामांतरकरण संख्या 1675 व 1676 का ज्ञान होने के बावजूद किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की वादग्रस्त आराजी में वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं होने, वादीगण द्वारा उक्त वाद कब्जा पाने के बिना अनुतोष पेश करने पर विधि से वर्जित होने, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने तथा वादीगण द्वारा उक्त वाद वास्तविक तथ्यों को छिपाकर न्यायालय में पेश करने एवं वाद कारण का अभाव होने से आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को इसी स्टेज पर मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

विप्रार्थी (वादीगण) अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र बिना विधिक आधार एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। पूर्व खातेदार फुसाराम के फौत होने पर म्यूटेशन संख्या 1675 उनके वैध वारिशान के नाम से भरा गया था तथा स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत उण्डू के समक्ष पेश किया गया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा प्रतिवादीगण से मिलावट व सांठगांठ करते हुए उक्त खसरा नम्बर 597 के म्यूटेशन संख्या 1675 पर नोट लगाकर मनमाने ढंग से म्यूटेशन पारित किया गया, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था। इसी प्रकार पूर्व खातेदार [illegible] जिसका नाम पर्चा लगान पर अंकित था, का देहांत होने पर [illegible] द्वारा उनके वैध वारिशान का म्यूटेशन संख्या 1676 [illegible] ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा साजिशन् मिलावट [illegible] लिक्ष्मणा पुत्र तेजाराम का नाम उक्त खातेदारी खसरा नम्बर से हटा [illegible] गया, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। सेटलमेंट [illegible] की भूल या त्रूटि को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ग्राम पंचायत को अधिकार नही है। उक्त दोनों म्यूटेशन में ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं होने से उक्त

सहायक कलेक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:58:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

म्यूटेशन प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होने से वादीगण द्वारा उक्त वाद शून्य व अवैध घोषित करवाने हेतु पेश किया गया है। साथ ही वादीगण के किसी भी पूर्वज द्वारा ग्राम पंचायत उण्डू के समक्ष उपस्थित होकर कोई बयान नहीं दिये गये है और न ही किसी कार्यवाही में भाग लिया था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यवाही अपने मनमाने ढंग से नोट लगाकर की गई है, जो प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विप्रार्थी (प्रतिवादीगण) द्वारा आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र मात्र वाद को लम्बा करने तथा बिना किसी विधिक आधारों पर मनगढंत मिथ्या कथनों के आधार पर पेश किया हुआ होने और पूर्व में ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा की गई कार्यवाही अवैध व शून्य होने से वाद कारण उत्पन्न ही नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5 व 6) अधिवक्ता द्वारा आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजी में वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वादीगण द्वारा उक्त वाद कब्जा के बिना अनुतोष पेश करने पर विधि से वर्जित होने तथा वादीगण द्वारा पूर्व में पारित नामांतरकरण संख्या 1675 व 1676 का ज्ञान होने के बावजूद किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देने से वाद कारण का अभाव होने व तथ्य छिपाकर पेश करने पर उक्त वाद खारिज करने का अनुतोष चाहा गया है। विप्रार्थी (वादीगण) वकील द्वारा उक्त आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपना जवाब पेश करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र वाद को लम्बा करने तथा बिना किसी विधिक आधार पर मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया हुआ होने तथा पूर्व में नामांतरकरण संख्या 1675 व 1676 ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा एकतरफा व मनमाने तरीके से पारित करने से अवैध व शून्य होने से वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया है। पत्रावली के साथ पेश नामांतरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में अन्य प्रतिवादीगण पक्षकारान् के वालिदेन के नाम नामांतरकरण में दर्ज होने पर प्रार्थी जेठाराम पुत्र पन्नाराम द्वारा ग्राम पंचायत उण्डू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके नाम अन्य खातेदारी में दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामांतरकरण से उनके नाम हटाने का निवेदन किया गया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित पक्षकारान् को नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुए बयान दर्ज किये जाकर नामांतरकरण पारित किये गये है। यदि विप्रार्थी (वादीगण) को उक्त नामांतरकरण पारित किये जाने पर उजर व ऐतराज होता तो पूर्व में भी समक्ष न्यायालय में अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु वाद अथवा अपील पेश कर सकते थे जबकि वादीगण द्वारा उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध ऐसी कोई चुनौती नहीं दी गई। विप्रार्थी (वादीगण) अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा अपनी मनमर्जी से नोट लगाकर वादीगण के पूर्वजों का नाम हटाया जाना बताया गया। उक्त के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा विरासती नामांतरकरण में संबंधित पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाकर सहमति बयान लिये जाकर उस आधार पर नामांतरकरण पारित किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। साथ ही वर्तमान मौके पर वादीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं होना भी सिद्ध है।

अतः उक्त स्थिति [illegible] योग्य नहीं होने तथा वाद कारण का अभाव होने से प्रार्थी (प्रतिव[illegible] व 6) की ओर से पेश आदेश 7 नियम 11 [illegible] जाकर वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:58:21 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखि[illegible]फतर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner